न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 02/2017

हरिसिंह पिता ब्यानसिंह बनाम (1) मूला पिता मोडा माली कातरालका
सम्बत करजपुरा (2) लाइ पिता मूला माली करजपुरा
(3) नारायण लाल पिता पूरण लाल कुमावत
निवासी लाडपिपला
(5) गणेश लाल पिता नारायण कुमावत
निवासी मांडल 6

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

– आदेश :–

दिनांक— 12/5/2017

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री — हरिसिंह बनाम — ने जरिये अभिभाषक श्री निरंजन कुमार बाबल ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल खाते की भूमि ग्राम करजपुरा प0ह0 हाडा तह0 माण्डलगढ मे आराजी 307/2 किता 1 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अभिभाषक पक्षों की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2072/2075 के अवलोकन से प्रार्थी आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम करजपुरा की आराजी न0 307/2 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा — की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 300 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।